

वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स: इज़रायल

प्रलिम्स के लिये:

सनिई प्रायद्वीप, गाज़ा पट्टी, वेस्ट बैंक और पूरवी यरुशलम, गोलन हाइट्स

मेन्स के लिये:

अरब-इज़रायल युद्ध (1948), अरब-इज़रायल संघर्ष

चर्चा में क्यों?

हाल ही में इज़रायल के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक ऐसे क़्षेत्र पर कब्ज़े वाले वेस्ट बैंक के ग्रामीण हस्से से 1,000 से अधिक फलिस्तीनी नविसयों को बेदखल करने के खलियाफ दायर याचकिया को खारजि कर दया गया है, जसि इज़रायल ने सैन्य अभ्यास के लयि नामति कया है।

- हाल ही में यरुशलम की [अल-अक़सा मसजिद](#) में फलिस्तीनी और इज़रायली पुलसि के बीच फरि से तनाव बढ गया है।



संबंधति नरिणय:

- इस नरिणय ने हेब्रोन के पास एक शुषक क़्षेत्र में आठ छोटे गाँवों को ध्वस्त करने का मार्ग प्रशस्त कया है, जनिहें फलिस्तीनयों द्वारा **मासाफर यट्टा** और इज़रायलयों द्वारा **दक़षणि हेब्रोन हलिस** के रूप में जाना जाता है।
- मासाफर यट्टा नविसयों और इज़रायली अधकियर समूहों का कहना है कविर्ष 1967 के छह दविसीय युद्ध में इज़रायल द्वारा वेस्ट बैंक पर कब्ज़ा करने से पहले से कई फलिस्तीनी परिवार 3,000 हेकटेयर क़्षेत्र में स्थायी रूप से नविस कर रहे हैं।

वेस्ट बैंक:

- वेस्ट बैंक पश्चिमी एशिया में एक भूमिआबद्ध क़्षेत्र है। इसमें पश्चिमी मृत सागर का एक महत्त्वपूर्ण भाग भी शामिल है।
- जॉर्डन द्वारा [अरब-इज़रायल युद्ध \(1948\)](#) के बाद इस पर कब्ज़ा कर लया गया था, लेकिन इज़रायल ने वर्ष 1967 के छह दविसीय युद्ध के दौरान इसे वापस छीन लया और तब से इसका नरिणय है।

- वेस्ट बैंक, इज़रायल और जॉर्डन के बीच स्थिति है।
 - इसके प्रमुख शहरों में से एक रामल्लाह है जो फलिसितीन की वास्तविक प्रशासनिक राजधानी भी है।
- वर्तमान में वेस्ट बैंक में 26 लाख फलिसितीनियों के साथ लगभग 130 औपचारिक इज़रायली बस्तियाँ हैं।
- मासाफर यट्टा उस क्षेत्र का 60% हिस्सा है जहाँ फलिसितीनी प्राधिकरण के संचालन पर प्रतर्बिध है।
- फलिसितीनी चाहते हैं कि वेस्ट बैंक भविष्य में उनके राज्य का मुख्य हिस्सा बने।

छह दविसीय युद्ध (1967):

- छह दविसीय युद्ध जून 1967 में इज़रायल और अरब राज्यों (मिस्र, सीरिया और जॉर्डन) के बीच एक संक्षिप्त, परंतु खूनी संघर्ष था।
- इस युद्ध में इज़रायल ने मिस्र के सनाई प्रायद्वीप और गाज़ा पट्टी, जॉर्डन के वेस्ट बैंक एवं पूर्वी यरुशलम तथा सीरिया के गोलान हाइट्स पर कब्ज़ा कर लिया।
- वर्ष 1967 के बाद से छह दविसीय युद्ध में इज़रायल द्वारा वजिति भूमि अरब-इज़रायल संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के केंद्र में रही है।
- भले ही इज़रायल ने वर्ष 1982 में मिस्र को सनाई प्रायद्वीप लौटा दिया और 2005 में गाज़ा से अपना नियंत्रण वापस ले लिया, परंतु गोलान हाइट्स एवं वेस्ट बैंक की स्थिति अरब-इज़रायल शांति वार्ता में एक बड़ी बाधा बनी हुई है।

वगित वर्ष के प्रश्न:

प्रश्न. 'गोलान हाइट्स' के नाम से जाना जाने वाला क्षेत्र नमिनलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित घटनाओं के संदर्भ में कभी-कभी समाचारों में रहता है?

- मध्य एशिया
- मध्य पूर्व
- दक्षिण-पूर्व एशिया
- मध्य अफ्रीका

उत्तर: (B)

पीएम मतिर पार्क

प्रलिस के लिये:

पीएम मतिर पार्क।

मेन्स के लिये:

कपड़ा उद्योग।

चर्चा में क्यों?

कपड़ा मंत्रालय ने पीएम मेगा इंडीगरेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क (पीएम मतिर) योजना पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया है।

पीएम मतिर पार्क योजना:

- **परिचय:**
 - 'पीएम मतिर' पार्क को सार्वजनिक नजि भागीदारी (PPP) मोड में एक वर्षिय प्रयोजन वाहन (Special Purpose Vehicle-SPV) के ज़रिये विकसित किया जाएगा, जिसका स्वामित्व केंद्र और राज्य सरकार के पास होगा।
 - प्रत्येक 'मतिर' पार्क में एक इन्क्यूबेशन सेंटर, कॉमन प्रोसेसिंग हाउस और एक कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट तथा टेक्सटाइल संबंधी सुविधाएँ जैसे- डिज़ाइन सेंटर एवं टेस्टिंग सेंटर होंगे।
 - यह 'वर्षिय प्रयोजन वाहन' / मास्टर डेवलपर न केवल औद्योगिक पार्क का विकास करेगा, बल्कि रियायत अवधिके दौरान इसका रखरखाव भी करेगा।

■ वित्तपोषण:

- इस योजना के तहत केंद्र सरकार सामान्य बुनयादी अवसंरचना के विकास हेतु प्रत्येक ग्रीनफील्ड 'मतिर' पार्क के लिये 500 करोड़ रुपए और प्रत्येक ब्राउनफील्ड पार्क के लिये 200 करोड़ रुपए की विकास पूंजी सहायता प्रदान करेगी।
 - ग्रीनफील्ड का आशय एक पूर्णतः नई परियोजना से है, जसि शून्य स्तर से शुरू किया जाना है, जबकि ब्राउनफील्ड परियोजना वह है जसि पर काम शुरू किया जा चुका है।

■ प्रोत्साहन के लिये पात्रता:

- इनमें से प्रत्येक पार्क में वस्त्र निर्माण इकाइयों की शीघ्र स्थापना के लिये प्रतिसिपर्द्धात्मक प्रोत्साहन सहायता के रूप में अतिरिक्त 300 करोड़ रुपए प्रदान किये जाएंगे।
- कम-से-कम 100 लोगों को रोजगार देने वाले 'एंकर प्लांट' स्थापित करने वाले नविशक तीन वर्ष तक प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए तक प्रोत्साहन पाने के लिये पात्र होंगे।

■ महत्त्व:

- रसद लागत में कमी:
 - यह रसद लागत को कम करेगा और कपड़ा क्षेत्र की मूल्य शृंखला को विश्व स्तर पर प्रतिसिपर्द्धी बनने हेतु मजबूत करेगा।
 - कपड़ा निर्यात को बढ़ावा देने के भारत के लक्ष्य में उच्च रसद लागत को एक प्रमुख बाधा माना जाता है।
- रोजगार सृजन:
 - प्रत्येक पार्क से प्रत्येक रूप से 1 लाख रोजगार और परोक्ष रूप से 2 लाख अतिरिक्त रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
- FDI को आकर्षित करना:
 - प्रत्येक वदेशी निवेश (FDI) को आकर्षित करने के लिये ये पार्क महत्त्वपूर्ण हैं।
 - अप्रैल 2000 से सितंबर 2020 तक भारत के कपड़ा क्षेत्र को 20,468.62 करोड़ रुपए का FDI प्राप्त हुआ, जो इस अवधि के दौरान कुल FDI प्रवाह का मात्र 0.69% है।

भारत के कपड़ा क्षेत्र की स्थिति:

■ परिचय:

- भारत का कपड़ा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के सबसे पुराने उद्योगों में से एक है और पारंपरिक कौशल, वरिसत तथा संस्कृति का भंडार एवं वाहक है।
- यह भारतीय सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में 2.3%, औद्योगिक उत्पादन का 7%, भारत की निर्यात आय में 12% और कुल रोजगार में 21% से अधिक का योगदान देता है।
- भारत 6% वैश्विक हसिसेदारी के साथ तकनीकी वस्त्रों (Technical Textile) का छठा (विश्व में कपास और जूट का सबसे बड़ा उत्पादक) बड़ा उत्पादक देश है।
 - तकनीकी वस्त्र कार्यात्मक कपड़े होते हैं जो ऑटोमोबाइल, सविलि इंजीनियरिंग और निर्माण, कृषि, स्वास्थ्य देखभाल, औद्योगिक सुरक्षा, व्यक्तिगत सुरक्षा आदि सहित विभिन्न उद्योगों में अनुप्रयोग होते हैं।
- भारत विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रेशम उत्पादक देश भी है जसिकी विश्व में हाथ से बुने हुए कपड़े के मामले में 95% हसिसेदारी है।

■ प्रमुख पहलें:

- उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना
- राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मशिन
- संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना (ATUFS)
- एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (SITP)
- समर्थ योजना
- पूर्वोत्तर क्षेत्र वस्त्र संवर्द्धन योजना (NERTPS)
- रेशम समग्र योजना:
- जूट आईकेयर

स्रोत: पी.आई.बी.

वीनस मशिन 2024

प्रलिस के लिये:

रोबोटिक मशिन टू वीनस (दावची प्लस और वेरटिस), शुक्र पर भेजे गए पछिले मशिन, शुक्र की महत्त्वपूर्ण वशिषताएँ

मेन्स के लिये:

इसरो स्पेस मशिन टू वीनस, स्पेस टेक्नोलॉजी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन \(इसरो\)](#) के नए अध्यक्ष ने घोषणा की है कि दिसंबर 2024 तक वीनस मशिन को लॉन्च कर दिया जाएगा।

- इस मशिन का उद्देश्य शुक्र के वातावरण में मौजूद सल्फ्यूरिक एसिड के बादल, जिनकी प्रकृति विषाक्त और संक्षारक है, का अध्ययन करना है।
- इससे पहले [नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन \(NASA\)](#) ने शुक्र के लिये दो नए [रोबोटिक मशिन \(DaVinci Plus और Veritas\)](#) की घोषणा की थी।

मशिन का प्रमुख उद्देश्य:

- सतही प्रक्रिया और उथली उप-सतह स्तर वजिज्ञान (**Stratigraphy**) की जाँच करना।
 - शुक्र की उप-सतह का अब तक कोई पूर्व अवलोकन नहीं किया गया है।
 - स्ट्रैटिग्राफी भूवजिज्ञान की एक शाखा है जिसमें चट्टानों की परतों और परतों के निर्माण का अध्ययन किया जाता है।
- वायुमंडल की संरचना, संघटक और गतिकी का अध्ययन करना।
- वीनसयिन [आयनमंडल](#) के साथ [सौर पवन](#) की अंतःक्रिया की जाँच करना।

मशिन का महत्त्व:

- मशिन यह जानने में मदद करेगा कि पृथ्वी जैसे ग्रह कैसे घूमते हैं और पृथ्वी के आकार के [एक्सोप्लैनेट](#) (हमारे सूर्य के अलावा किसी अन्य तारे की परिक्रमा करने वाले ग्रह) पर क्या स्थितियाँ मौजूद हैं।
- यह [पृथ्वी के जलवायु की मॉडलिंग](#) में मदद करेगा तथा एक चेतावनी देने वाले के रूप में कार्य करेगा कि किसी ग्रह की जलवायु कतिनी नाटकीय रूप से बदल सकती है।

मशिन के लिये चुनौतियाँ:

- घने वातावरण और सतह की गतिविधि को देखते हुए शुक्र [मंगल](#) की तुलना में अलग-अलग चुनौतियाँ पेश करता है, जो इसे एक जटिल ग्रह बनाता है।
- गहनता से समझने के लिये [उपकरणों को वातावरण के माध्यम से गहराई तक ले जाने की ज़रूरत होती है।](#)
- अंतरिक्ष एजेंसी अंतरिक्षयान पर जिन उपकरणों का उपयोग करने की योजना बना रही है, उनमें एक [उच्च रिज़ॉल्यूशन सैथैटिक एपर्चर रडार \(SAR\)](#) है जो ग्रह के चारों ओर बादलों (जो दृश्यता को कम करता है) के बावजूद शुक्र की सतह की जाँच करेगा,।
 - यह [उच्च-रिज़ॉल्यूशन छवियों के निर्माण के लिये](#) एक तकनीक को संदर्भित करता है। सटीकता के कारण रडार बादलों और अंधेरे में प्रवेश कर सकता है, [जसिका अर्थ है कियह किसी भी मौसम में दनि-रात डेटा एकत्र कर सकता है।](#)

पूर्ववर्ती मशिन:

- अमेरिका:**
 - मेरिनर शृंखला 1962-1974, वर्ष 1978 में पायनियर वीनस 1 और पायनियर वीनस 2, 1989 में मैगलन।
- रूस:**
 - अंतरिक्षयान की वेनेरा शृंखला 1967-1983, वर्ष 1985 में वेगास 1 और 2.
- जापान:**
 - वर्ष 2015 में अकात्सुकी।
- यूरोप:**
 - वर्ष 2005 में वीनस एक्सप्रेस।


शुक्र ग्रह :

- इसका नाम प्रेम और सुंदरता की रोमन देवी के नाम पर रखा गया है। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह दूसरा तथा द्रव्यमान और आकार में छठा बड़ा ग्रह है।
- यह चंद्रमा के बाद रात के समय आकाश में दूसरी सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है, शायद यही कारण है कि यह पहला ग्रह था जो दूसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व में आकाश में अपनी गति के कारण जाना गया।
- हमारे सौरमंडल के अन्य ग्रहों के विपरीत शुक्र और यूरेनस अपनी धुरी पर दक्षिणावर्त घूमते हैं।
- कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च सांद्रता के कारण यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है जो एक तीव्र ग्रीनहाउस प्रभाव पैदा करता है।
- शुक्र ग्रह पर एक दनि पृथ्वी के एक वर्ष से ज़्यादा लंबा होता है। सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने की तुलना में शुक्र को अपनी धुरी पर घूर्णन में

अधिक समय लगता है।

- अर्थात् 243 पृथ्वी दिनों में एक घूर्णन के साथ सौरमंडल में किसी भी ग्रह का यह सबसे लंबा घूर्णन।
- सूर्य की एक कक्षा को पूरा करने के लिये केवल 224.7 पृथ्वी दिनों।

- शुक्र को उसके द्रव्यमान, आकार और घनत्व तथा सौरमंडल में उसके समान सापेक्ष स्थानों में समानता के कारण पृथ्वी की जुड़वाँ बहन कहा गया है।
 - शुक्र से ज़्यादा कोई ग्रह पृथ्वी के करीब नहीं पहुँचता है; अपने निकटतम स्तर पर यह चंद्रमा के अलावा पृथ्वी का सबसे निकटतम बड़ा पड़ि है।
 - शुक्र का वायुमंडलीय दाब पृथ्वी से 90 गुना अधिक है।



वर्ष के प्रश्न (PYQs):

प्रश्न. क्बुदरग्रहों तथा धूमकेतु के बीच क्या अंतर होता है? (2011)

1. क्बुदरग्रह लघु चट्टानी ग्राहकिएँ (प्लेनेटॉयड) हैं, जबकि धूमकेतु हमिशीतति गैसों से नरिमति होते हैं जनिहें चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बाँधे रहता है।
2. क्बुदरग्रह अधकिंशतः वृहस्पति और मंगल के परकिरमापथों के बीच पाए जाते हैं, जबकि धूमकेतु अधकिंशतः शुक्र एवं बुध के बीच पाए जाते हैं।
3. धूमकेतु गोचर दीप्तमिन पुच्छ दर्शाते हैं, जबकि क्बुदरग्रह ऐसा नहीं दर्शाते।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 3
- (d) 1, 2 और 3

उत्तर: (B)

व्याख्या:

- **क्बुदरग्रह** सूर्य की परकिरमा करने वाले छोटे चट्टानी पदार्थ होते हैं। क्बुदरग्रह द्वारा सूर्य की परकिरमा ग्रहों के समान ही की जाती है लेकिन इनका आकार ग्रहों की तुलना में बहुत छोटा होता है।
 - हमारे सौरमंडल में बहुत सारे क्बुदरग्रह हैं। उनमें से ज़्यादातर क्बुदरग्रह मुख्य क्बुदरग्रह बेल्ट (Main Asteroid Belt) में पाए जाते हैं। यह मुख्य क्बुदरग्रह बेल्ट मंगल और वृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच के क्षेत्र में स्थिति है।
- धूमकेतु जमी हुई गैसों, चट्टान और धूल के ब्रहमांडीय स्नोबॉल हैं जो सूर्य की परकिरमा करते हैं।
 - जब धूमकेतु की कक्षा सूर्य के करीब पहुँचती है, तो धूमकेतु गर्म हो जाता है और अधकिंश ग्रहों की तुलना में बड़े चमकदार रूप में धूल और गैसों को उगलता है।
 - ये धूल और गैसों एक पुच्छ का नरिमाण करती हैं जो सूर्य से लाखों मील दूर तक फैली होती हैं।

भारतीय 'कॉयर' उद्योग

प्रलिमिंस के लिये:

कॉयर, एमएसएमई, इको मार्क, कॉयर से संबंधित पहल।

मेन्स के लिये:

संसाधनों का संग्रहण, कॉयर उद्योग की स्थिति और उसका महत्त्व।

चर्चा में क्यों?

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने तमलिनाडु के कोयंबटूर में 'एंटरप्राइज़ इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022' का उद्घाटन किया।

- यह आयोजन कॉयर और कॉयर उत्पादों के उत्पादन को बढ़ावा देने तथा इनके अनुप्रयोग के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिये राज्य एवं केंद्र सरकारों के बीच एक समन्वित प्रयास के रूप में आयोजित किया जा रहा है।
- प्राकृतिक रूप से नमिनीकरण योग्य, पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद के रूप में कॉयर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये 6 मई, 2022 कोरन फॉर कॉयर' का भी आयोजन किया जा रहा है। इस दौड़ में गणमान्य व्यक्तियों, कॉलेज के छात्रों और आम जनता सहित एक हज़ार से अधिक लोगों के भाग लेने की उम्मीद है।

कॉयर:

- यह प्रकृति में नारयिल के एक उपोत्पाद के रूप में पाया जाने वाला 'नारयिल पाम' द्वारा प्रचुर मात्रा में उत्पादित पदार्थ है।
- यह प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला रेशेदार पदार्थ है जो नारयिल के खोल के बाहर पाया जाता है जिसे प्राकृतिक रूप से उपयोग के लिये संसाधित किया जाता है।
- कॉयर का उपयोग सदियों से नाविकों द्वारा रस्सी के रूप में सामान को बाँधने तथा जहाज़ों के केबल्स (Ship Cables) के लिये किया जाता रहा है।
- आज कॉयर का उपयोग उत्पादों के वर्गीकरण करने हेतु किया जाता है, जिसमें कालीनों और डोरमैट से लेकर प्लांट पॉट्स व हैंगिंग बास्केट लाइनर्स, खेती में उपयोग होने वाली बागवानी सामग्री और मृदा क्षरण को नियंत्रण करने के लिये उपयोग की जाने वाली शीट्स शामिल हैं। कुछ पोटिंग मक्स उत्पादों में भी कॉयर का उपयोग किया जाता है।


भारत में कॉयर उद्योग की स्थिति:

- भारत सरकार द्वारा देश में कॉयर उद्योग के समग्र सतत् विकास हेतु कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 के तहत कॉयर बोर्ड की स्थापना की गई थी।
- बोर्ड के कार्य वैज्ञानिक, तकनीकी और आर्थिक अनुसंधान, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार, मानव संसाधन विकास, बाज़ार संवर्द्धन तथा इस उद्योग में लगे सभी लोगों का कल्याण करना, उन्हें सहायता प्रदान करना व प्रोत्साहित करना है।
- कॉयर उद्योग अधिनियम के तहत अधिदेशों को कॉयर बोर्ड द्वारा वभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है, जिसमें अनुसंधान और विकास गतिविधियाँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम, कॉयर इकाइयों की स्थापना के लिये वित्तीय सहायता प्रदान करना, घरेलू और नरियात बाज़ार का विकास करना, कर्मचारियों के लिये कल्याणकारी उपाय आदि शामिल हैं।

IN A NUTSHELL

80%

India's share of global
coir fibre production



9 lakh tonnes

Coir fibre produced in
the country every year

7.5 lakh tonnes

Coir fibre exported from
India to China annually



22,000

Units
involved in
coir activities
spread across
14 states



10 lakh

People
employed
directly/
indirectly by
the industry



₹4,000cr

Value of coir
and related
products
exported
annually

महत्व:

- **रोज़गार:**
 - नारयिल उत्पादक राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में कॉयर उद्योग 7 लाख से अधिक लोगों को रोज़गार प्रदान करता है।
 - दलिचस्प बात यह है कि इनमें से 80% कारीगर महिलाएँ हैं, लेकिन इसका उत्पादन अब तक देश के दक्षिणी नारयिल उत्पादक राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों तक ही सीमित है।
- **नरियात:**
 - वर्ष 2020-21 के दौरान भारत से कॉयर और कॉयर उत्पादों के नरियात ने पिछले वर्ष की तुलना में 1021 करोड़ रुपए से अधिक की वृद्धि के साथ 3778.98 करोड़ रुपए का अब तक का उच्च रिकॉर्ड दर्ज किया है।
- **घरेलू खपत:**
 - दुनिया भर में सालाना उत्पादित कॉयर फाइबर की 50% से अधिक खपत मुख्य रूप से भारत में ही होती है।
 - पर्यावरण के अनुकूल उत्पादों के प्रति बढ़ती जागरुकता ने घरेलू और वदेशी बाजारों में कॉयर एवं कॉयर उत्पादों की मांग में वृद्धि की है।
- **पर्यावरण के अनुकूल:**
 - कॉयर उत्पाद प्रकृति में पर्यावरण के अनुकूल हैं और भारत के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, द्वारा इसे "इको मार्क" से प्रमाणित किया गया है।
 - कॉयर उत्पाद पर्यावरण को बचाते हैं और ग्लोबल वार्मिंग को कम करने में मदद करते हैं।
 - मृदा के कटाव को रोकने के लिये कॉयर जियो टेक्सटाइल्स के उपयोग, कॉयर पथि (Coir Pith) को एक मूल्यवान जैव-उत्वरक और मृदा कंडीशनर में बदलने तथा कॉयर गार्डन उत्पाद जैसे कॉयर के नए अंतिम उपयोग अनुप्रयोगों ने भारत व वदेशों में लोकप्रियता हासिल की है।

कॉयर से संबंधित कुछ भारतीय पहलें:

- **कॉयर जियो टेक्सटाइल:**
 - कॉयर जियो टेक्सटाइल प्राकृतिक रूप से सड़न, गलन और नमी के लिये प्रतिरोधी हैं और किसी भी माइक्रोबियल हमले से मुक्त होते

हैं, इसलिये इसे किसी रासायनिक उपचार की आवश्यकता नहीं होती है।

■ कॉयर उद्यमी योजना:

- कॉयर उद्यमी योजना 10 लाख रुपए तक की परियोजना लागत और कार्यशील पूंजी के एक चक्र के साथ कॉयर इकाइयों की स्थापना के लिये एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना है, जो परियोजना लागत के 25% से अधिक नहीं होगी। यह योजना कॉयर बोर्ड द्वारा क्रयान्वति की जा रही है।

■ कॉयर विकास योजना:

- यह योजना घरेलू और नरियात बाजारों के विकास, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, महिलाओं के सशक्तीकरण, रोजगार/उद्यमिता, नरिमाण और विकास, कच्चे माल के उपयोग में वृद्धि, व्यापार से संबंधित सेवाओं, कॉयर श्रमिकों के लिये कल्याणकारी गतिविधियों आदिकी सुविधा प्रदान करती है।
- यह कार्य नमिनलखिति 6 योजनाओं के माध्यम से किया जाता है:
 - कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना
 - नरियात बाजार संवर्द्धन (EMP)
 - उत्पादन अवसंरचना का विकास (DPI)
 - घरेलू बाजार संवर्द्धन (DMP)
 - व्यापार और उद्योग से संबंधित कार्यात्मक सहायता सेवाएँ (TRIFSS)
 - कल्याणकारी उपाय (समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना)

आगे की राह

- कॉयर में अपार संभावनाएँ हैं, यह देश के [सकल घरेलू उत्पाद \(GDP\)](#) में MSME के हिससे और नरियात को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- कॉयर 'अपशब्द से धन' का एक अच्छा उदाहरण है, यह पर्यावरण के अनुकूल है क्योंकि यह जल और मृदा के संरक्षण हेतु स्थायी समाधान प्रदान करता है।

स्रोत: पी.आई.बी.

सागरमाला परियोजना

प्रलिस के लिये:

सागरमाला, सागरतट समृद्धि योजना।

मेन्स के लिये:

बुनयादी ढाँचा, वृद्धि और विकास, सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप।

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्री (MoPSW) ने वजिज्ञान भवन, नई दिल्ली में **राष्ट्रीय सागरमाला शीर्ष समिति (NSAC)** की बैठक की अध्यक्षता की।

- NSAC बंदरगाह आधारित विकास-सागरमाला परियोजनाओं के लिये नीति-निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान करने वाला शीर्ष निकाय है तथा इसके कार्यान्वयन की समीक्षा करता है। इसका गठन मई 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा किया गया था।
- बैठक में एक नई पहल 'सागरतट समृद्धि योजना' के माध्यम से तटीय समुदायों के समग्र विकास पर चर्चा की गई।

सागरतट समृद्धि योजना:

- प्रधानमंत्री ने मार्च 2021 में ["मेरीटाइम इंडिया वजिन-2030"](#) के वमिचन के दौरान सागरमाला - सागरतट समृद्धि योजना का शुभारंभ किया।
- पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने राष्ट्र के तटीय क्षेत्रों में चुनौतियों का समाधान करने के लिये इस वसितृत परियोजना को तैयार किया है।
- सागरतट समृद्धि योजना ने कुल **1,049 परियोजनाओं** की पहचान की है, जिनकी अनुमानित लागत 3,62,229 करोड़ रुपए है।
- जनि **चार प्रमुख क्षेत्रों** में यह पहल आती है उनमें शामिल हैं:

- तटीय अवसंरचना विकास
- तटीय पर्यटन
- तटीय औद्योगिक विकास
- तटीय सामुदायिक विकास

परियोजना के बारे में:

परिचय:

- **सागरमाला परियोजना** को वर्ष 2015 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित किया गया था जिसका उद्देश्य आधुनिकीकरण, मशीनीकरण और कंप्यूटरीकरण के माध्यम से 7,516 किलोमीटर लंबी समुद्री तट रेखा के आस-पास बंदरगाहों के इरद-गरिद प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विकास को बढ़ावा देना है।
- सागरमाला परियोजना का दृष्टिकोण आयात-नरियात (EXIM) और घरेलू व्यापार हेतु न्यूनतम बुनियादी ढाँचा निवेश के साथ रसद लागत को कम करना है।
- सागरमाला परियोजना वर्ष 2025 तक भारत के व्यापार नरियात को 110 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़ा सकती है, साथ ही लगभग 10 मिलियन नई नौकरियाँ (प्रत्यक्ष रोज़गार में चार मिलियन) पैदा कर सकती है।
- मंत्रालय ने संभावित एयरलाइन ऑपरेटरों के साथ **सागरमाला सीप्लेन सर्वसिज़** की महत्त्वाकांक्षी परियोजना शुरू की है।



सागरमाला कार्यक्रम के घटक:

- **बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह विकास:** मौजूदा बंदरगाहों का अवरोध और क्षमता वसति तथा नए ग्रीनफील्ड बंदरगाहों का विकास।
- **पोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ाना:** घरेलू जलमार्गों (अंतरदेशीय जल परिवहन और तटीय शिपिंग) सहित मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स समाधानों के माध्यम से बंदरगाहों की आंतरिक भूमि से कनेक्टिविटी को बढ़ाना, कार्गो आवाजाही की लागत और समय का अनुकूलन करना।
- **बंदरगाह संबद्ध औद्योगिकीकरण:** EXIM और घरेलू कार्गो की लॉजिस्टिक लागत तथा समय को कम करने के लिये बंदरगाह-समीपस्थ औद्योगिक क्लस्टर और तटीय आर्थिक क्षेत्र विकसित करना।
- **तटीय सामुदायिक विकास:** कौशल विकास और आजीविका निर्माण गतिविधियों, मत्स्य विकास, तटीय पर्यटन आदि के माध्यम से तटीय समुदायों के सतत विकास को बढ़ावा देना।
- **तटीय नौवहन और अंतरदेशीय जलमार्ग परिवहन:** सतत और पर्यावरण के अनुकूल तटीय तथा अंतरदेशीय जलमार्ग के माध्यम से कार्गो को स्थानांतरित करने के लिये प्रोत्साहन।

स्रोत: पी.आई.बी.

असम मवेशी संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021

प्रलिम्स के लिये:

राज्य के नीति निर्देशक संधि (अनुच्छेद 48)

मेन्स के लिये:

गाय संरक्षण कानून, असम मवेशी संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक गाय संरक्षण कानून (असम मवेशी संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2021) जिससे असम ने एक साल पहले लागू किया था, ने मेघालय में एक तीव्र बीफ संकट पैदा कर दिया है।

- यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मज़ोरम और नगालैंड जैसे उत्तर-पूर्वी राज्यों में मवेशियों के वध को नयित्तरति करने वाला ऐसा कोई कानून नहीं है।

अधिनियम से जुड़ी प्रमुख वशैषताएँ और चुनौतियाँ:

प्रमुख वशैषताएँ	प्रमुख चुनौतियाँ
<ul style="list-style-type: none">यह अधिनियम गायों के वध पर रोक लगाता है।यह अन्य मवेशियों (बैल, साँड़ और भैंस) के वध की अनुमति देता है, यदा मवेशी 14 वर्ष से अधिक उम्र के हैं या चोट या बिकृति के कारण स्थायी रूप से अक्षम हो गए हैं।यह अनुमति वाले स्थानों को छोड़कर मवेशियों के अंतर-राज्य और अंतर-राज्यीय परिवहन तथा गोमांस की बिक्री को भी प्रतिबंधित करता है।संबंधित प्राधिकरण अधिनियम के तहत अपराधों के लिये इस्तेमाल किये गए मवेशियों और वाहनों का नरीक्षण व ज़बती कर सकता है।दोष सिद्ध होने पर ज़बत किये गए मवेशियों और वाहनों को राज्य सरकार को सौंप दिया जाएगा।	<ul style="list-style-type: none">अधिनियम असम के माध्यम से परिवहन पर प्रतिबंध के कारण भारत के उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में मवेशियों के परिवहन को अनुचित रूप से सीमित करता है।अधिनियम असम से उन राज्यों में पशु परिवहन को प्रतिबंधित करता है जहाँ पशु वध को वनियमिती नहीं किया गया है।अभ्युक्त के लिये सुनवाई के दौरान ज़बत मवेशियों के रखरखाव की लागत का भुगतान करने की आवश्यकता कठिनी हो सकती है।उन जगहों पर प्रतिबंध जहाँ गोमांस बेचा जा सकता है, वास्तव में पूरे राज्य में गोमांस की बिक्री पर प्रतिबंध के समान और बहुत व्यापक हो सकता है।

गौ वध पर प्रतिबंध क्यों?

- संवधान के तहत राज्य के नीतिनिदेशक सिद्धांत (अनुच्छेद 48) में प्रावधान है कि राज्य कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक तरज़ पर संगठित करने का प्रयास करेगा, नसलों में सुधार के लिये कदम उठाएगा और गायों, बछड़ों तथा अन्य दुधारू पशुओं के वध पर रोक लगाएगा व पशु मसौदा तैयार करेगा।
- इसी क्रम में 20 से अधिक राज्यों ने मवेशियों (गायों, बैल तथा साँड़) तथा भैंसों के वध को वभिन्नि स्तर तक सीमित करने वाले कानून पारित किये हैं।

न्यायपालिका की राय:

- समय के साथ इन राज्य कानूनों के तहत नषिध की सीमा सर्वोच्च न्यायालय के नरिण्यों द्वारा नरिदेशति की गई है।
 - इससे पहले मध्य प्रदेश (1949), बहिर (1955) और उत्तर प्रदेश (1955) जैसे राज्यों के कानूनों ने मवेशियों के वध पर पूरी तरह से रोक लगा दी थी।
- वर्ष 1958 में इन तीन कानूनों की जाँच करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि मवेशियों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध कसाई के अपने व्यापार या पेशे का अभ्यास करने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है।
 - यह माना गया कि जबकि गायों के वध पर पूर्ण प्रतिबंध संवैधानिक रूप से मान्य था, बैल, साँड़ और भैंस के वध पर प्रतिबंध केवल एक नशिचति सीमा तक ही हो सकता है, या उनकी उपयोगति (दूध, प्रजनन के लिये) पर आधारति हो सकता है।
- वर्ष 1994 में गुजरात ने सभी उम्र के साँड़ और बैलों के वध पर रोक लगाने के लिये एक संशोधति कानून पारति कया।
- वर्ष 2005 में सुप्रीम कोर्ट की सात न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने न्यायालयों के पूर्व के नरिण्यों के वपिरित गुजरात संशोधन कानून के तहत साँड़ों (Bulls) और बैलों (Bullocks) के वध पर पूर्ण प्रतिबंध को बरकरार रखा।
- हाल के वर्षों में छत्तीसगढ़ (2004), मध्य प्रदेश (2004), महाराष्ट्र (2015), हरयाणा (2015) और कर्नाटक (2021) जैसे राज्यों ने भी सभी उम्र के साँड़ों और बैलों के वध पर प्रतिबंध लगा दिया है।

गाय संरक्षण हेतु पहल:

- [राष्ट्रीय गोकुल मशिन](#)
- [गोकुल ग्राम](#)
- [पशु संजीवनी](#)
- [राष्ट्रीय बोवाईन उत्पादकता मशिन](#)

अंतर-राज्यीय गरिफ्तारियाँ

प्रलिमिंस के लिये:

दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची, भारत के संविधान का अनुच्छेद 22(2)

मेन्स के लिये:

अंतर-राज्यीय गरिफ्तारी, पुलिस सुधार, अभिन्न सुरक्षा बल और एजेंसियाँ और उनके अधिदेश, नरिणय और मामले

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंजाब पुलिस द्वारा एक राजनेता की गरिफ्तारी पर [दलिली पुलिस](#) द्वारा पंजाब पुलिस टीम के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज करने पर संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है।

- गरिफ्तारी को लेकर उग्र विवाद ने पुलिस अधिकार क्षेत्र और अंतर-राज्यीय पुलिस सहयोग को लेकर बहस छेड़ दी है।
- इस तरह की राजनीतिक रूप से संचालित प्रक्रिया के प्रभाव नष्पिक्षता और समानता के लिये चुनौती के अलावा और कुछ नहीं है। यह मामला न्याय का विषय बनने के बजाय राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता का विषय बन गया है।

अंतर-राज्यीय गरिफ्तारी की प्रक्रिया:

- भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची (सूची II) की प्रविष्टि संख्या 2 में 'पुलिस' को राज्य सूची में रखा गया है, जिसका अर्थ है कि पुलिस से संबंधित सभी मामलों पर राज्य सरकार द्वारा नरिणय लिया जाएगा।
- मोटे तौर पर कानून की मंशा यह रही है कि किसी विशेष राज्य में अपराधी को उस राज्य की पुलिस द्वारा गरिफ्तार किया जाना चाहिये।
 - हालाँकि कुछ परिस्थितियों में कानून एक राज्य की पुलिस को दूसरे राज्य में आरोपी को गरिफ्तार करने की अनुमति देता है।
- यह एक सक्षम न्यायालय द्वारा जारी किये गए वारंट के नष्पिपादन द्वारा या बिना वारंट के भी किया जा सकता है, इस मामले में संबंधित राज्य पुलिस को स्थानीय पुलिस को गरिफ्तारी के बारे में सूचित करना होता है।
- देश भर में राज्य पुलिस बल नियमित रूप से अन्य राज्यों में गरिफ्तारी करते हैं। सामान्य तौर पर यह कार्य स्थानीय पुलिस की सहायता से किया जाता है।
 - हालाँकि कई मामलों में स्थानीय पुलिस को गरिफ्तारी से पहले या बाद में केवल सूचित किया जाता है।

अंतर-राज्यीय गरिफ्तारियों पर कानून:

- दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 79 सक्षम अदालतों द्वारा जारी वारंट के आधार पर अंतर-राज्यीय गरिफ्तारी से संबंधित है।
 - यह धारा ऐसी गरिफ्तारियों के लिये वसितृत प्रक्रिया नरिधारित करती है। हालाँकि जहाँ तब वारंट के बिना गरिफ्तारी का संबंध है, किसी अन्य राज्य में किसी आरोपी को गरिफ्तार करने की पुलिस की शक्तियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं किया गया है।
- CrPC की धारा 48 पुलिस को ऐसी शक्तियाँ देती है लेकिन प्रक्रिया को परिभाषित नहीं किया गया है।
 - धारा 48 के अनुसार, "एक पुलिस अधिकारी बिना वारंट के किसी भी व्यक्ति को गरिफ्तार करने के उद्देश्य से अर्थात् जैसे गरिफ्तार करने के लिये उसे अधिकृत किया गया है, भारत में किसी भी स्थान पर ऐसे व्यक्ति का पीछा कर सकता है।"
 - यह पूर्व से विवादित है कि क्या "पीछा करना" शब्द का अर्थ किसी अन्य राज्य में पीछा करना है या किसी ऐसे आरोपी पर लागू होना है जो दूसरे राज्य में रह रहा है और जाँचकर्त्ताओं के साथ सहयोग नहीं कर रहा है।
- भारत के संविधान का अनुच्छेद 22(2): प्रत्येक व्यक्ति जिसे गरिफ्तार किया गया है और हरिसत में रखा गया है, को चौबीस घंटे की अवधि के भीतर नकिटतम मजसिट्रेट के समक्ष पेश किया जाएगा।
 - गरिफ्तारी के स्थान से मजसिट्रेट के न्यायालय तक की यात्रा में लगा समय 24 घंटे में शामिल नहीं है।
 - इसके अलावा "ऐसे किसी भी व्यक्ति को मजसिट्रेट के अधिकार के बिना उक्त अवधि के बाद हरिसत में नहीं रखा जाएगा।"
 - यह CrPC की धारा 56 और 57 में भी नरिधारित है।

न्यायालयों द्वारा अंतर-राज्यीय गरिफ्तारियों पर कानूनी व्याख्या:

- वर्ष 2019 में 'संदीप कुमार बनाम राज्य (दिल्ली सरकार की एनसीटी)' मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने अंतर-राज्यीय गरिफ्तारी हेतु कुछ दिशा-निर्देश जारी किये। उदाहरण के लिये:
 - न्यायालय द्वारा कहा गया कि एक पुलिस अधिकारी को किसी अपराधी को गरिफ्तार करने हेतु दूसरे राज्य का दौरा करने के लिये अपने वरिष्ठ अधिकारी से लिखित या फोन पर अनुमति लेनी होगी।
 - पुलिस अधिकारी को इस तरह के कदम के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना चाहिये और "आकस्मिक मामलों" को छोड़कर पहले न्यायालय से गरिफ्तारी वारंट प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिये।
 - "दूसरे राज्य का दौरा करने से पहले पुलिस अधिकारी को उस स्थानीय पुलिस स्टेशन से संपर्क स्थापित करने का प्रयास करना चाहिये जिसके अधिकार क्षेत्र में वह जाँच का संचालन करता है।
- दिशा-निर्देश "तत्काल मामलों" में एक अपवाद है, जिसमें एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में अपने समकक्षों को आसन्न गरिफ्तारी की सूचना नहीं दे सकती है।

आगे की राह

- सर्वोच्च न्यायालय ने स्वीकार किया कि राजनीतिक हस्तक्षेप नष्पक्ष जाँच में बाधा के रूप में काम कर रहा है।
 - इसके अतिरिक्त द्वितीय प्रशासनिक आयोग ने यह भी उल्लेख किया कि बिद्वते राजनीतिक हस्तक्षेप ने इसकी जवाबदेही का लाभ उठाया है और राजनेता व्यक्तिगत या राजनीतिक लाभ के लिये पुलिस का उपयोग कर रहे हैं।
- इस प्रकार अति आवश्यक पुलिस सुधारों को लागू करने की तत्काल आवश्यकता है।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/current-affairs-news-analysis-editorials/news-analysis/07-05-2022/print>

